

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-13/2022/डी- 4596

दिनांक:- 14/7/22

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा/नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.) में	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण/लीज डीड/फ्री होल्ड लीजडीड/अन्य
1.	सी-34	275.00 व.मी.	श्री यशवर्धनी चौहान एवं उदित नंदिनी चौहान पुत्रीयों स्व. श्री हर्ष वर्धन चौहान	जविप्रा	कल्पना नगर	नामहस्तांतरण
2.	ए-1/डी-52	488.85 व.मी.	श्री भंवर लाल सैनी	जविप्रा	ट्रांसपोर्ट नगर योजना	लीजहोल्ड से फ्री होल्ड लीजडीड

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त, जोन-13
ज.वि.प्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- परामर्शी (जनसम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञापित का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त, जोन-13
ज.वि.प्रा, जयपुर

14/7/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी-

दिनांक

-:सार्वजनिक सूचना:-

जविप्रा की रजत विहार के भूखण्ड संख्या बी-280 का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	योजना का नाम	आवंटी का नाम	प्रथम से विक्रय संबंधित अन/रजिस्टर्ड दस्तावेजों की चैन का विवरण	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1	बी-280	252.00	रजत विहार	उम्मेद खान पुत्र स्व. श्री फरीद खान	जविप्रा द्वारा दिनांक 12.02.08 को उम्मेद खान पुत्र स्व. श्री फरीद खान के नाम से आवंटन सह मांग पत्र जारी किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार उम्मेद खान पुत्र स्व. श्री फरीद खान दिनांक 22.07.2017 को मृत्यु हो गई। भूखण्ड संख्या बी-280 रजत विहार योजना के भूखण्ड को जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के आधार पर श्रीमति हसन बानू पुत्री स्व. उम्मेद खान पत्नि श्री सरवर अली खान, मोहम्मद सलाउद्दीन खान व मोहम्मद उस्मान खान पुत्रान् स्व. श्री उम्मेद खान के द्वारा युसुफ खान पुत्र स्व. श्री उम्मेद खान को दिनांक 18.06.2019 को हकत्याग कर दिया गया है।	युसुफ खान पुत्र स्व. श्री उम्मेद खान निवासी ग्राम पोस्ट झाड़ोद, वाया मौलासर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर (राज.)।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र व रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के आधार पर नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा/जोन-12/2022/डी-1888 दिनांक (14-)-2022

PRO/R-
14/7/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा-3/लालकोठी/डी- 557

दिनांक 13/7/2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदक द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करे, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	दुकान संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	एनजीएस-31	नेहरू पैलेस योजना	श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता पुत्र रामेश्वर प्रसाद गुप्ता	श्री अनुज कुमार जैपुरिया पुत्र श्री ओमप्रकाश एवं श्रीमती सुलोचना पत्नी श्री ओमप्रकाश	स्वघोषणा पत्र, नाम हस्तान्तरण पत्र, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति


उपायुक्त जोन-3
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।


उपायुक्त जोन-3
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-
14/7/22

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/उपा/जोन-11/90ए/2022/डी-1950

दिनांक 14/7/22


सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खातेदार एडवांस माईको फर्टीलाइजर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री ओम प्रकाश चौधरी कार्यालय पता रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बगरू, विस्तार बगरू द्वारा ग्राम दहमीखुर्द तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 713/4 रकबा 0.5275 हैक्ट. में औद्योगिक प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन किये जाने हेतु जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है।

ग्राम दहमीखुर्द तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 713/4 रकबा 0.5275 हैक्ट. भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 24.06.2021 को पारीत किया गया था। प्रकरण में 90-क की कार्यवाही किये हुये 1 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। अतः प्रकरण में जविप्रा, जयपुर की बी.पी.सी(एल.पी.) की 297वी बैठक दिनांक 15.3.2021 के नीतिगत निर्णय की अनुपालना में सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है।

अतः उक्त ग्राम दहमीखुर्द तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 713/4 रकबा 0.5275 हैक्ट. औद्योगिक प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में औद्योगिक में मानचित्र जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 14/7/22 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. ✓ जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आठ की फोन्ट साईट में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध करावें।
2. एडवांस माईको फर्टीलाइजर्स प्रा.लि. कार्यालय पता रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बगरू, विस्तार बगरू को सूचनार्थ प्रेषित है।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

14/7/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा/उपा./जोन-4/2022/डी-1504

दिनांक. 13-07-2022

विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	गृ. नि. स. स.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज नाम
1	307	सुभाष सिन्धी	स्कीम नं. 24ए प्रेम नगर	श्री गोरीशंकर गुप्ता पुत्र स्व. श्री हरगोविन्द गुप्ता	श्री महेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री भौरी लाल गुप्ता	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 20.02.2002 आदि।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।
- सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-4/2022/डी-1501

दिनांक 13-07-2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	41 दक्षिणी भाग	केशव विहार विस्तार	श्री मदन लाल शर्मा पुत्र स्व. श्री रामनाथ शर्मा	श्रीमती मोती देवी शर्मा पत्नी स्व. श्री रामनाथ शर्मा	अपंजीकृत वसीयतनामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र
2	41 उत्तरी भाग	केशव विहार विस्तार	श्री दिलखुश शर्मा पुत्र श्री प्रभुनारायण शर्मा	श्रीमती मोती देवी शर्मा पत्नी स्व. श्री रामनाथ शर्मा	अपंजीकृत वसीयतनामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र

प्रतिलिपि:-


- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल :dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ()जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी - 1930

दिनांक 12/7/22

विज्ञापित/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाइट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	निजी खातेदारी योजना का नाम	आवेदक का नाम	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
मंगलम बिल्ड डवलपर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री संजय गुप्ता पुत्र श्री एन.के. गुप्ता	247	मंगलम आंगन विस्तार	श्री गौरव गौड़ पुत्र स्व. श्री विनोद कुमार गौड़	श्रीमती विनिता गौड़ पत्नी श्री विनोद कुमार गौड़ द्वारा कय किये जाने पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व श्रीमती विनिता गौड़ पत्नी श्री विनोद कुमार गौड़ के मृत्यु प्रमाण पत्र व रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के आधार पर नाम हस्तांतरण


उपायुक्त जोन-11
जयपुर
ज.वि.प्रा., जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञापित प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


उपायुक्त जोन-11
जयपुर
ज.वि.प्रा., जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2574798) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (7402): फैक्स - +91-141-2574555

PR-12 880
14/7/22

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/उपा/जोन-11/90ए/2022/डी-1935

दिनांक 13/7/22

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खातेदार श्री रमन गुप्ता पुत्र श्री घनश्याम गुप्ता जाति महाजन, 2169, मालवीय नगर, जयपुर द्वारा ग्राम केश्यावाला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 260/2 रकबा 0.23 हैक्ट. में आवासीय (फ्लेट्स) प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन किये जाने हेतु जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है।

ग्राम केश्यावाला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 260/2 रकबा 0.23 हैक्ट. भूमि का आवासीय (फ्लेट्स) प्रयोजनार्थ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 17.03.2020 को पारीत किया गया था। प्रकरण में 90-क की कार्यवाही किये हुये 1 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। अतः प्रकरण में जविप्रा, जयपुर की बी.पी.सी.(एल.पी.) की 297वी बैठक दिनांक 15.3.2021 के नीतिगत निर्णय की अनुपालना में सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है।

अतः उक्त केश्यावाला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 260/2 रकबा 0.23 हैक्ट. आवासीय (फ्लेट्स) प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में आवासीय (फ्लेट्स) में मानचित्र जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 13/7/22 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आठ की फोन्ट साईट में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध करावें।
2. श्री रमन गुप्ता पुत्र श्री घनश्याम गुप्ता जाति महाजन, 2169, मालवीय नगर, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
ज.वि.प्रा., जयपुर

PRO-R 879
14/7/22



क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-08/2022/डी-1970

दिनांक 13/7/2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	26	नारायण विहार आर (निजी खातेदार)	श्री सिमरदीप सिंह पुत्र श्री जंगबहादुर सिंह एवं कुलदीप तलवार पुत्र श्री भानूराम तलवार	श्रीमती अल्का शर्मा पत्नी श्री धनराज शर्मा	अपंजीकृत मुख्यतारआम
2	28 (वेस्ट पार्ट)	वास्तु नगर फेज-5 (खुशी एनक्लेव)	पूजा कंवर पत्नी श्री संदीप सिंह राठौड एवं श्री संदीप सिंह राठौड पुत्र श्री महावीर सिंह	श्रीमती सुशीला कंवर पत्नी स्व0 श्री रामसिंह	आधे हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र


उपायुक्त, जोन-8

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।


उपायुक्त, जोन-8

PRO/8-884
14/7/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-1489

दिनांक:- 13/11/2022

आम-सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम हरनाथपुरा तहसील व जिला जयपुर के खसरा नम्बर 320 व 234 में बसी हुई गैर अनुमोदित आवासीय कॉलोनियों में से प्रस्तावित सैक्टर रोड 60 फीट जो कि जोनल विकास योजना 11बी में आती है को विलोपित करने के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति/सुझाव इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 30 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। 30 दिवस की अवधि में आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपी:-

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम (एनालिस्ट), जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्र/र-886
14/11/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी- 1492

दिनांक 13/7/2022

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण श्रीमती अम्रता बेनीवाल, श्री ओमप्रकाश बेनीवाल, श्रीमती अम्रता बेनीवाल एवं श्री ऋषभ कुमार सेठी को प्रशासन शहरों के संग 2021 के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या 16, 17, 18 एवं 19 योजना राठौड़ नगर (छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स.स.) मौका स्थिति अनुसार नियमन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त भूखण्ड का आवेदकगण के पक्ष में नियमन किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीबी-एसएफ- 218डी में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

PROPR-887
14/7/22

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क (8) के अन्तर्गत

संख्या.....1491

दिनांक.....13/7/22

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् दारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **सूरजपोल गेट गृ.नि.स.स.लि.** की योजना **मूर्ति नगर** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
मीनावाला	328 / 455	0.2782	<ol style="list-style-type: none"> 1. जगदीश पुत्र रामचंद्र हिस्सा - 1/10 जाति-मीना सा. देह खातेदार 2. फैल्याराम पुत्र कालू हिस्सा - 1/6 जाति-मीना सा. देह खातेदार 3. बाबूलाल पुत्र अर्जुन हिस्सा - 1/30 जाति-मीना सा. देह खातेदार 4. भूरा पुत्र रामचंद्र हिस्सा - 1/10 जाति-मीना सा. देह खातेदार 5. भौरी पत्नी स्व. अर्जुन हिस्सा - 1/30 जाति-मीना सा. देह खातेदार 6. रामकरण पुत्र कालू हिस्सा - 1/6 जाति-मीना सा. देह खातेदार 7. रामकुवार पुत्र रामचंद्र हिस्सा - 1/10 जाति-मीना सा. देह खातेदार 8. रामनारायण पुत्र अर्जुन हिस्सा - 1/30 जाति-मीना सा. देह खातेदार 9. श्योली पत्नी स्व. रामचंद्र हिस्सा - 1/10 जाति-मीना सा. देह खातेदार 10. हनुमान पुत्र कालू हिस्सा - 1/6 जाति-मीना सा. देह खातेदार

उपायुक्त जाँच-7/3

PR/R-885
14/7/22

254	0.5817	1. गंगासहाय पुत्र जगन्नाथ हिस्सा- 1/5 जाति-मीना सा. देह खातेदार
256	0.9864	2. दामोदर पुत्र जगन्नाथ हिस्सा - 1/5 जाति-मीना सा. देह खातेदार
		3. नवरतन पुत्र बोदुराम हिस्सा- 1/15 जाति-मीना सा. देह खातेदार
		4. नारायण पुत्र जगन्नाथ हिस्सा- 1/5 जाति-मीना सा. देह खातेदार
		5. प्रताप पुत्र जगन्नाथ हिस्सा- 1/5 जाति-मीना सा. देह खातेदार
		6. बाबूलाल पुत्र बोदुराम हिस्सा- 1/15 जाति-मीना सा. देह खातेदार
		7. राकेश पुत्र बोदुराम हिस्सा 1/15 जाति-मीना सा. देह खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पी बी-एसएफ-218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 13/11/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

R.R.R. 885
14/11/22

Sd,
प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।


उपायुक्त जोन-7
प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त
जयपुर
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क (8) के अन्तर्गत

संख्या 1482

दिनांक 13/7/22

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् दारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण नेहरू गृ.नि.स.स.लि. की योजना रेल्वे ऑफिसर्स कॉलोनी के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
	267 268 269	0.8852 0.6703 0.7082	1. नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर रजि. नं. 2764/एल जरिये. मंत्री पवन कुमार अग्रवाल पंजीकृत कार्यालय 4 डी.सी.एम. गोदाम अजमेर रोड़ जयपुर हिस्सा- पूर्ण खातेदार
	270	0.2656	1. कमला पति रणधीर सिंह चौधरी हिस्सा- 13/24 जाति - जाट सा. देह खातेदार 2. नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति पंजीयन क्रमांक L-2764 पंजीकृत कार्यालय डी.सी.एम. गोदाम अजमेर रोड़ जयपुर हिस्सा- 11/24 खातेदार
	274	0.0506	1. कमला पत्नी रणधीर सिंह चौधरी हिस्सा- 65/1152 जाति- जाट सा. जयपुर खातेदार 2. गणेश पुत्र सुन्दर हिस्सा- 1/128 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 3. घीस्या पुत्र नारायण हिस्सा- 3/256 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 4. चन्दालाल पुत्र सुन्दर हिस्सा- 1/128 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार

P20-R-885
14/7/22

		<ol style="list-style-type: none"> 5. चित्रलेखा पत्नी मनोजकुमार हिस्सा-13/288 जाति-जाट सा. जयपुर खातेदार 6. जगन पुत्र नारायण हिस्सा- 3/256 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 7. दयानन्द पुत्र शिवनारायण हिस्सा- 13/128 जाति-जाट सा. जयपुर खातेदार 8. नन्दा पुत्र दहला हिस्सा- 39/320 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 9. नेहरु गृह निर्माण सहकारी समिती लि. जयपुर पंजीकृत नम्बर एल/2764 पंजीकृत कार्यालय 4 डी.सी.एम. गोदाम अजमेर रोड जयपुर जरिये मन्त्री पवन कुमार अग्रवाल हिस्सा - 1/128 खातेदार 10. नानू पुत्र नारायण हिस्सा- 3/256 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 11. प्रभू पुत्र नारायण हिस्सा- 3/256 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 12. बलराम पुत्र छोटीलाल हिस्सा- 39/320 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 13. भोलूराम पुत्र सुन्दर हिस्सा- 1/128 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 14. मंगलचन्द पुत्र कजोड हिस्सा- 3/512 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 15. मंजू पुत्री स्व. रतनलाल हिस्सा-1/512 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 16. मन्नी पत्नी स्व. रतनलाल हिस्सा- 1/512 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 17. महेन्द्र पुत्र रतनलाल हिस्सा- 1/512 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 18. मोहन पुत्र दहला हिस्सा- 39/320 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 19. राजेन्द्र पुत्र रतनलाल हिस्सा- 1/512 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 20. रामेश्वर पुत्र गंगाबक्ष हिस्सा- 3/256 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 21. लल्लू पुत्र गंगाबक्ष हिस्सा-3/256 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 22. श्यामलाल पुत्र सुन्दर हिस्सा- 1/128 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 23. श्रीनारायण पुत्र गंगाबक्ष हिस्सा- 3/64 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 24. सुखा पुत्र दहला हिस्सा- 39/320 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 25. सुजन पुत्र गंगाबक्ष हिस्सा- 3/256 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 26. हनुमानसहाय पुत्र कजोड हिस्सा- 3/512 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 27. हरी पुत्र दहला हिस्सा-39/320 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार
275	0.8347	<ol style="list-style-type: none"> 1. नेहरु गृह निर्माण सहकारी समिति पंजीयन क्रमांक L-2764 पंजीकृत कार्यालय डी.सी.एम. अजमेर रोड जयपुर हिस्सा-5/8 खातेदार 2. मोहन पुत्र भोमा हिस्सा-3/16 जाति- अहिर (यादव) सा. देह खातेदार 3. सोहन पुत्र भोमा हिस्सा-3/16 जाति- अहिर (यादव) सा. देह खातेदार
276	0.7967	<ol style="list-style-type: none"> 1. नेहरु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर मन्त्री पवन कुमार कन्हैया लाल अग्रवाल पंजीकृत कार्या. 4 डी.सी.एम. गोदाम अजमेर रोड जयपुर हिस्सा-7/8 खातेदार 2. मैसर्स नेहरु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर रजि.न.एल./2764 पंजीकृत कार्य. 4 डी.सी.एम. गोदाम अजमेर रोड जयपुर जरिये मन्त्री पवन कुमार अग्रवाल

		हिस्सा- 1/8 खातेदार
277	0.6703	1. नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति पंजीयन क्रमांक L-2764 पंजीकृत कार्यालय डी.सी.एम. अजमेर रोड जयपुर हिस्सा-पूर्ण खातेदार
273 278	0.6197 0.5564	1. गणेश पुत्र सुन्दर हिस्सा- 1/4 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 2. गणेश पुत्र सुन्दर हिस्सा- 1/12 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 3. चन्दालाल पुत्र सुन्दर हिस्सा- 1/12 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 4. नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर पंजीकृत नम्बर एल /2764 पंजीकृत कार्यालय 4 डी.सी.एम. गोदाम अजमेर रोड जयपुर जरिये मन्त्री पवन कुमार अग्रवाल हिस्सा- 1/12 खातेदार 5. भोलूराम पुत्र सुन्दर हिस्सा- 1/12 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 6. मंजू पुत्री रतनलाल हिस्सा- 1/48 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 7. मन्नी देवी पत्नी स्व. रतनलाल हिस्सा- 1/48 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 8. महेन्द्र पुत्र रतनलाल हिस्सा- 1/48 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 9. राजेन्द्र पुत्र रतनलाल हिस्सा- 1/48 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 10. लल्लू पुत्र गंगाबक्ष हिस्सा- 1/8 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 11. श्यामलाल पुत्र सुन्दर हिस्सा- 1/12 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 12. सुजन पुत्र गंगाबक्ष हिस्सा- 1/8 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार
279	3.8698	1. गणेश पुत्र सुन्दर हिस्सा- 3/128 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 2. गणेश पुत्र सुन्दर हिस्सा- 1/128 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 3. चन्दालाल पुत्र सुन्दर हिस्सा- 1/128 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 4. नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर पंजीयन क्रमांक L-2764 पंजीकृत कार्यालय डी.सी.एम. गोदाम अजमेर रोड जयपुर हिस्सा- 39/256 खातेदार 5. नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर रजि. नं. 2764/एल. जरिये मन्त्री पवन कुमार अग्रवाल पुत्र कन्हैयालाल अग्रवाल पंजीकृत कार्यालय 4 डी.सी.एम. गोदाम अजमेर रोड जयपुर हिस्सा - 167/256 खातेदार 6. नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर रजि. नं. /2764 पंजीकृत कार्य 4 डी.सी.एम. गोदाम अजमेर रोड जयपुर जरिये मन्त्री पवनकुमार अग्रवाल हिस्सा - 3/256 खातेदार 7. भोलूराम पुत्र सुन्दर हिस्सा- 1/128 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 8. मंजू पुत्री रतनलाल हिस्सा- 1/512 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 9. मन्नी पत्नी स्व. रतनलाल हिस्सा- 1/512 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 10. ममता गोयल पत्नी पंकज गोयल हिस्सा- 3/128 जाति-गोयल सा. देह खातेदार 11. महेन्द्र पुत्र रतनलाल हिस्सा- 1/512 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 12. रणधीरसिंह पुत्र ले. करणसिंह हिस्सा- 13/256

		<p>जाति-जाट सा. देह खातेदार</p> <p>13. राजेन्द्र पुत्र रतनलाल हिस्सा- 1/512 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>14. लल्लू पुत्र गंगाबक्ष हिस्सा- 3/256 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>15. विमलागोयल पत्नी औमप्रकाश गोयल हिस्सा- 3/128 जाति-गोयल सा. देह खातेदार</p> <p>16. श्यामलाल पुत्र सुन्दर हिस्सा- 1/128 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>17. सुजन पुत्र गंगाबक्ष हिस्सा- 3/256 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p>
301	8.6628	<p>1. गणेश पुत्र सेवा हिस्सा- 1/4 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>2. नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर हिस्सा - 11/684 रजि. न. 2764/एल खातेदार</p> <p>3. नानू पुत्र रामदेव हिस्सा- 1/2 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>4. विजय कुमार शर्मा पुत्र शंकर लाल शर्मा हिस्सा- 5/171 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>5. शंकरलाल शर्मा पुत्र गौरी शंकर शर्मा हिस्सा- 10/171 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>6. संजीव कुमार चौधरी पुत्र रणधीर सिंह हिस्सा- 10/171 जाति-जाट सा. देह खातेदार</p> <p>7. सुनील कुमार शर्मा पुत्र बद्रीप्रशाद हिस्सा- 5/171 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>8. सुरेन्द्र कुमार चौधरी पुत्र चौधरी रामचन्द्र हिस्सा- 10/171 जाति-अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p>
271	0.0379	<p>1. कजोडमल पुत्र जगन हिस्सा- 1/64 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>2. कमला पत्नी रणधीरसिंह चौधरी हिस्सा- 7/48 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>3. गणेश पुत्र सुन्दर हिस्सा 1/48 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>4. गिरधारी पुत्र कन्हैयालाल उर्फ कानाराम हिस्सा- 1/128 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>5. गोपाल पुत्र मोती हिस्सा- 1/16 जाति-मीना सा. देह खातेदार</p> <p>6. चन्दालाल पुत्र सुन्दर हिस्सा- 1/48 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>7. चित्रलेखा पत्नी मनोजकुमार हिस्सा- 1/24 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>8. नरसीराम पुत्र जगन हिस्सा- 1/64 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>9. नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर पंजीकृत नम्बर एल/2764 पंजीकृत कार्यालय 4 डी.सी.एम. गोदाम अजमेर रोड जयपुर जरिये मन्त्री पवन कुमार अग्रवाल हिस्सा- 1/48 खातेदार</p> <p>10. पूनमचन्द पुत्र गोपाललाल हिस्सा- 1/192 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>11. बाबूलाल पुत्र गोपाललाल हिस्सा- 1/192 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>12. बिरधीचन्द पुत्र जगन हिस्सा- 1/64 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>13. भोलूराम पुत्र सुन्दर हिस्सा- 1/48 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>14. मंगलचन्द पुत्र कजोड़ हिस्सा- 1/64 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>15. मंजू पुत्री रतनलाल हिस्सा- 1/144 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>16. महेन्द्र पुत्र रतनलाल हिस्सा- 1/144 जाति- अहीर</p>

उपायुक्त जीन-7

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर

		<p>(यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>17. मोहनलाल पुत्र जगन हिस्सा- 1/64 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>18. रणधीरसिंह पुत्र ले. करणसिंह हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>19. रतनलाल पुत्र कन्हैयालाल उर्फ कानाराम हिस्सा- 1/128 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>20. राजेन्द्र पुत्र रतनलाल हिस्सा- 1/144 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>21. रामचन्द्र पुत्र जगन हिस्सा- 1/64 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>22. रामदयाल पुत्र मंगलचन्द हिस्सा- 3/32 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा जयपुर</p> <p>23. रामेश्वर पुत्र गंगाबक्ष हिस्सा- 1/32 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>24. लक्ष्मीनारायण पुत्र जगन हिस्सा- 1/64 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>25. लल्लू पुत्र गंगाबक्ष हिस्सा- 1/32 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>26. श्यामलाल पुत्र सुन्दर हिस्सा- 1/48 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>27. श्रवणलाल पुत्र गोपाललाल हिस्सा- 1/192 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>28. श्रीनारायण पुत्र गंगाबक्ष हिस्सा- 1/8 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>29. सजन पुत्र गंगाबक्ष हिस्सा- 1/32 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p> <p>30. सीताराम पुत्र मंगलचन्द हिस्सा- 3/32 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा जयपुर</p> <p>31. हनुमानसहाय पुत्र कजोड़ हिस्सा- 1/64 जाति- अहीर (यादव) सा. देह खातेदार</p>
--	--	--

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञापित प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पी बी-एसएफ-218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 13/11/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।


उपायुक्त जोन-7
प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्तपुर
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अद्यो हस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75
Anniversary
Amrit Mahotsava

क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2022/डी-3126 दिनांक:- 06.06.2022

-:सूचना:-

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह-खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्री विनोद कुमार भाटिया पुत्र श्री नन्द लाल (हसनपुरा-ए गृ.नि.स.समिति की योजना क्षीर सागर)	128	127.77
2	रिद्धम भाटिया पुत्री श्री विनोद कुमार भाटिया (हसनपुरा-ए गृ.नि.स.समिति की योजना क्षीर सागर)	131	179.59
3	श्रीमती बृजलता वर्मा पुत्री लखन लाल वर्मा (हसनपुरा-ए गृ.नि.स.समिति की योजना क्षीर सागर)	126	127.77
4	श्रीमती बृजलता वर्मा पुत्री लखन लाल वर्मा (हसनपुरा-ए गृ.नि.स.समिति की योजना क्षीर सागर)	126 A	127.77
5	श्री कल्याण सहाय डोडवाडिया पुत्र श्री गोविन्द राम (हसनपुरा-ए गृ.नि.स.समिति की योजना सुखिजा विहार-ए)	65	311.66
6	श्री हरीश कुमार पुत्र श्री वासुमल (मित्र गृ.नि.स.समिति की योजना महिमा नगर)	119 A	50.00

॥
उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित कराने का श्रम करें। विज्ञप्ति प्रकाशन की राशि स्वयं भूखण्डधारी वहन करेंगे।
 - को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र प्रकाशित हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से सम्पर्क कर विज्ञप्ति प्रकाशित करावें।
- नोट:- विज्ञप्ति प्रकाशन में कार्यालय का सम्पूर्ण पता तथा विज्ञप्ति आवश्यक रूप से 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाई जावें। उक्त की पूर्ति नहीं होने पर विज्ञप्ति मान्य नहीं होगी।

॥
उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}; फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/उपा/जोन-11/90ए /2022/डी-1950

दिनांक 14/7/22


सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खातेदार एडवांस माईको फर्टीलाइजर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री ओम प्रकाश चौधरी कार्यालय पता रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बगरू, विस्तार बगरू द्वारा ग्राम दहमीखुर्द तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 713/4 रकबा 0.5275 हैक्ट. में औद्योगिक प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन किये जाने हेतु जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है।

ग्राम दहमीखुर्द तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 713/4 रकबा 0.5275 हैक्ट. भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 24.06.2021 को पारीत किया गया था। प्रकरण में 90-क की कार्यवाही किये हुये 1 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। अतः प्रकरण में जविप्रा, जयपुर की बी.पी.सी(एल.पी.) की 297वी बैठक दिनांक 15.3.2021 के नीतिगत निर्णय की अनुपालना में सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है।

अतः उक्त ग्राम दहमीखुर्द तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 713/4 रकबा 0.5275 हैक्ट. औद्योगिक प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में औद्योगिक में मानचित्र जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 14/7/22 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आठ की फोन्ट साईट में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध करावें।
2. एडवांस माईको फर्टीलाइजर्स प्रा.लि. कार्यालय पता रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बगरू, विस्तार बगरू को सूचनार्थ प्रेषित है।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर